चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 21.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 21.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 21.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में मंगलवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। आगामी गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत रैतिक परेड की रिहर्सल कराई गई और आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया। । तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा,आरक्षी बैरिक, सीपीसी कैंटीन,साइबर क्राइम थाना,डायल 112 कार्यालय, भोजनालय का निरीक्षण किया गया तथा क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया।

(4). आज दिनाँक-21.01.25 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अजेय कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण डॉग स्क्वायड,एलआईयू व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दृष्टिगत रामायण मेला परिसर व आस पास के क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं की सघन चेकिंग की गई।

(5). आज दिनाँक 21.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम स्थल रामायण मेला सीतापुर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन को सकुशल एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु यातायात पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी/चौकी प्रभारी सीतापुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

(6). युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा जनपदीय पुलिस विभाग के साथ स्टूडेंट पुलिस एक्सप्रिएन्शल लर्निंग प्रोग्राम चलाये जाने के क्रम में आज दिनांक 21.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर/नोडल अधिकारी स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियेंस लर्निंग प्रोग्राम श्री जयकरन सिंह द्वारा अपराध निरीक्षक कोतवली कर्वी श्री लाखन सिंह की उपस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास स्नात्तकोन्तर महाविद्यालय के चयनित छात्र/छात्राओं को थाना कोतवाली कर्वी में व प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह द्वारा थाना मानिकपुर में राजकीय डिग्री कालेज मानिकपुर के छात्र/छात्राओं को SPEL कार्यक्रम के अन्तर्गत पुलिस विभाग का परिचय ग्राम चौकीदार,हल्का/चौकी प्रभारी,थाना,सर्किल,शहरी/ग्रामीण,जिला,रेंज,जोन,प्रदेश की व्यवस्था,पदाधिकारी और उनके कर्तव्यों,पुलिस विभाग के यूनिफार्म, जिला स्थित विधिक पुलिस प्रतिष्ठान,राज्य स्तरीय विधिक पुलिस प्रतिष्ठान के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरमान आलम, मुख्य आरक्षी कृष्ण पाल सिंह व आरक्षी आशीष कुमार द्वारा रामेश्वर पुत्र गजराज निवासी ग्राम रघुवंशीपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 25 अदद देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(8). मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में ऑपरेशन बचपन के क्रम में आज दिनाँक 21.01.2025 प्रभारी निरीक्षक थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग श्री शिवमूरत यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सदानंद सिंह,आरक्षी त्रिभुवन सिंह,आरक्षी सुशील कुमार द्वारा थाना भरतकूप,चौकी शिवरामपुर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व विभिन्न स्थानों के आस-पास होटलों की चेकिंग का अभियान चलाया गया। इस दौरान होटलों में हो रहे बालश्रम की चेकिंग की गयी तथा पम्पलेट्स वितरित कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930, वूमेन पावर लाइन नंबर 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान घुमंतू परिवार के लोगों को यह भी हिदायत दी कि बच्चों से बाल श्रम व भीख ना मंगवाए स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें।

(9). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त (1).अमरनाथ पुत्र बुद्धिलाल (2).संजय पुत्र राजबहादुर (3).सलोन पुत्र राधेश्याम निवासीगण मऊगुरदरी ऊचांडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 1220/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 330/- रुपये बरामद हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1.मालफड़ 1220/- रुपये
2.जामा तलाशी से 330/- रुपये
3. 52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.निरीक्षक श्री दुर्ग विजय सिंह प्रभारी मानिकपुर
2.उ0नि0 श्री अजय बहादुर सिंह
3.आरक्षी दीपक
4.आरक्षी अजीजउद्दीन
5.आरक्षी चालक लोकेन्द्र सिंह

(10). गुमशुदा का नाम- सर्वजीत पासवान पुत्र राधेश्याम पासवान उम्र 08 वर्ष निवासी ग्राम सोढ़रा पोस्ट मदरह जिला गाजीपुर

विवरण-

दिनांक 22.05.2024 को अपने माता व दादी के साथ मैंहर माता का दर्शन करने जा रहे थे। किसी ने बताया कि मैंहर आ गये इस पर परिजन मानिकपुर स्टेशन पर उतर गये। बच्चा कही उतर कर चला गया खोज करने पर नही मिला। सूचना के आधार पर थाना जीआरपी मानिकपुर में मु0अ0सं0 45/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

हुलिया – इकहरा मजबूत जिस्म, गोल चेहरा ,गेहुआ रंग,आख,कान,नाक कद औसत
पहनावा- काली शर्ट,काला पैन्ट,पैरो में नील और सफेद रंग के जूते
कृपया उपरोक्त गुमशुदा युवक के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर निम्नलिखित नम्बरों पर सूचना देने का कष्ट करें।
क्षेत्राधिकारी नगर- 9305101116/9454401356

प्रभारी निरीक्षक थाना कोत0 कर्वी- 9305101117/9454403205
विवेचना अधिकारी मो0नं0 - 7905499758
गुमशुदा के पिता का मोबाइल नम्बर- 9336191511/8115938837

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री ब्रजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 343/2023 धारा 297,504,506 भादवि0 के अभियुक्त 1.चुन्नीलाल केशरवानी पुत्र गणेश प्रसाद 2.सौरभ केशरवानी पुत्र चुन्नीलाल निवासीगण रत्नावली मार्ग रामघाट सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 2500-2500/- रुपयेके अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 03.06.2023 को वादी विनोद पाण्डेय द्वारा सूचना दिया गया कि अभियुक्तगणों वादी के मृतक भाई विजय कुमार पाण्डेय की अस्थियों को एकत्रित न करने देना मना करने पर गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देना तथा अस्थियों को बिखेर कर धार्मिक ठेस पहुंचाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 343/2023 धारा 297,504,506 भादवि0 बनाम चुन्नीलाल केशरवानी पुत्र गणेश प्रसाद व सौरभ केशरवानी पुत्र चुन्नीलाल पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री जनार्दन सिंह द्वारा सम्पादित की गयी तथा दिनाँक 19.07.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।